संख्या-9/2016/575/12-5-2015-34/2015

प्रेषक,

भवानी सिंह खंगारोत,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक
उत्तर प्रदेश, कृषि भवन,
लखनऊ।

कृषि अनुभाग-5 लखनऊ: दिनांक: 12 अगस्त, 2016

विषय:-एक अदद सियाज कार को प्रतिस्थापन के आधार पर डी0जी0एस0 एन्ड डी0 दर पर क्रय किये जाने हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-अभि0/327/वाहन/2016-17, दिनांक 28 जुलाई, 2016 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिये अनुदान संख्या-11 के आयोजनेत्तर पक्ष में एक एम्बेसडर कार संख्या-यू0एम0आर0-5969 पेट्रोल चलित निष्प्रयोज्य कार के स्थान पर सियाज वी0एक्स0आई0 प्लस रू0 7,60,568/- (रू0 सात लाख साठ हजार पांच सौ अड़सठ मात्र) डी0जी0एस0 एण्ड डी0 दर पर क्रय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबंधो के अधीन सहर्ष प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते है:-

2. उक्त अनुदान की धनराशि पर अनुदान नियमावली के समस्त नियम लागू होंगे तथा वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के अध्याय 16ए के नियम इस अनुदान पर लागू होंगे तथा इस संबंध में वित्त (लेखा) अनुभाग-1 द्वारा निर्गत राजाज्ञा संख्या-1238/10-15(1)/63, दिनांक 17.01.79 में उल्लिखित निर्देशों तथा शासनादेश संख्या-ए-2364/दस-15(1)/63, दिनांक 17.01.79 में अनुलग्निन नियमावली का भी परिपालन किया जायेगा।

3- निष्प्रयोज्य वाहन संख्या-यू0एम0आर0-5969 पेट्रोल चालित एम्बेसडर कार के स्थान पर 01 सियाज-कार (वी0एक्स0आई0) डी0जी0एस0 एण्ड डी0 दर पर क्रय अद्यतन प्रोफार्मा इन्वाइस के आधार पर किया जायगा तथा यह भी सुनिश्चित किया जाय कि उक्त निष्प्रयोज्य वाहन के स्थान पर प्रतिस्थापन स्वरूप पूर्व में कोई भी नया वाहन क्रय नहीं किया गया है।

3. उक्त अनुदान की धनराशि का देयक वित्त नियंत्रक, कृषि निदेशालय द्वारा बनाया जायेगा। इस देयक पर कृषि निदेशक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित और मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ द्वारा भुगतान किया जायेगा।

4. उक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2016-17 के अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक-2401-फसल कृषि कर्म-आयोजनेत्तर-001-निदेशन तथा प्रशासन-03-कृषि निदेशालय का सामान्य अधिष्ठान योजना के मानक मद 14-मोटर गाडियों का क्रय के नामे डाला जायेगा।

5. सन्दर्भगत वाहन के क्रम में क्रय संबंधी समय-समय पर निर्गत समस्त सुसंगत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

http://bharatGPI.up.nic.in

6. यह आदेश वित्त विभाग के अशा0 पत्र संख्या-ई-1-394/दस-2016, दिनांक 12.08.2016 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(भवानी सिंह खंगारोत)
विशेष सचिव।

संख्या-9/2016/575(1)/12-5-2015, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/आडिट प्रथम, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
2. निदेशक सम्वर्ती सम्परीक्षा स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
3. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. वित्त नियंत्रक, कृषि निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. वित्त (व्यय-नियंत्रक) अनुभाग-1/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
6. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(भवानी सिंह खंगारोत)
विशेष सचिव।

http://shasnadesh.up.nic.in